

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या- डीजी-चार-101(03)/2016

दिनांक: लखनऊ: जनवरी 7 2016

आदेश

पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में 03 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण कर चुके निम्नलिखित निरीक्षक नागरिक पुलिस को जनहित में उनके गहन जनपद वापस किए जाने का आदेश तत्कालिक प्रभाव से पारित किया जाता है:-

क्रमांक	पीओएनओनं०	निरीक्षक का नाम	जन्मतिथि	गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को
1.	822032151	राजेश कुमार सिंह	01/07/1957	आजमगढ़	उओप्रओपाओकार्पोओ लिओ लखनऊ	फतेहपुर
2.	792610226	अशोक कुमार ओझा	01/07/1956	बलिया	उओप्रओपाओकार्पोओ लिओ लखनऊ	वाराणसी
3.	812021587	अलख नरायण द्विवेदी	30/06/1956	बौदा	उओप्रओपाओकार्पोरेशन लिओ लखनऊ से आदेशसं०डीजी-चार-101(स्थाओ-13)13-87 दिओ 16.8.13 द्वारा जीआरपी किया गया स्थानान्तरण निरस्त करते हुए	कानपुर नगर
4.	842290010	पृथ्वीराज चौहान	15/07/1956	आगरा	उओप्रओपाओकार्पोओ लिओ लखनऊ	सीबीसीआईडी
5.		राजीव कुमार गौतम	10/07/1958	आगरा	उओप्रओपाओकार्पोओ लिओ लखनऊ	अमरोहा
6.	822700342	सुरेन्द्र सिंह यादव	05/07/1958	फतेहगढ़	उओप्रओपाओकार्पोओ लिओ लखनऊ	गोण्डा
7.	902520776	उमेश चन्द्र पाण्डेय	01/07/1962	बलिया	उओप्रओपाओकार्पोओ लिओ लखनऊ	मिर्जापुर

(प्रकाश डीओ) 04 Jan. 16

पुलिस महानिरीक्षक(प्रशासन/स्थापना)
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, उओप्रओपावर कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया उओप्रओपावर कारपोरेशन लिओ में प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण कर चुके उक्त निरीक्षकों को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल उनके गहन जनपद हेतु कार्यमुक्त करते हुये कार्यमुक्त के दिनांक से इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

P.T.O.

